फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामचन्द्र — **विपक्षी : श्री छगनलाल**

किस्म मुकदमा – 251"क" रा.का. अधिनियम — **पत्रावली संख्या : 221/17**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प रख्यावल में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 द्वारा प्रकरण को स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी व विपक्षी सं. 1 की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 630 व 629 में आने जाने के लिए आराजी नम्बर 637 व 638 में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह लम्बी दूरी का होने से तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी नम्बर 629 से होकर 1040 वर्गफीट का रास्ता प्रस्तावित किया है जो प्रार्थी के कब्जे की आराजीयात तक जाता हैं जो न्यूनतम दूरी का हैं। उक्त रास्ता 1040 वर्ग फीट (0.0096 हैक्टेयर) होकर डीएलसी दर 1,33,691/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 7,927/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह शामलाती होने से अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज हैं। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का कब्जा आराजी नम्बर 630 में होना बताया हैं जिसमें जाने के लिए आराजी नम्बर 629 से रास्ता प्रस्तावित किया है वह न्यूनतम दूरी का हैं। अतः नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 630, 631 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आ.न. 629 मे से 0.0096 हेक्टेयर (1040 वर्ग फीट) भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 20 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1,33,691/– अक्षरे एक लाख तेतीस हजार छः सौ इकरानवे रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0096 हेक्टेयर (1040 वर्ग फीट) की कुल कीमत 7,929/– की दुगनी 15,858/– रूपयें पन्द्रह हजार आठ सौ अठावन रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर [illegible] विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षीगण को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कांयम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 13:02:02 IST
Reason: Self Attested